भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्यार 5222

दिनांक 03.12.2019/ 12 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तकर के लिए

बुलबुल चक्रवात

†2522. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्रीमती माला रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से चक्रवात 'बुलबुल' टकराया है;

(ख) यदि हां, तो नुकसान का ब्यौरा क्या है और उक्त चक्रवात में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चक्रवात बुलबुल के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को कोई राहत पैकेज की घोषणा की है/सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निकट भविष्य में चक्रवातों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी संबंधित विभागों के मध्य समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्त र

गृह मंत्रालय में राज्ये मंत्री (श्री नित्याोनंद राय)

(क) और (ख): "बुलबुल" चक्रवात दिनांक 09 नवम्बर, 2019 को सुंदरबन धांची वन के निकट पश्चिम बंगाल तट से गुजरा था , जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई। प्रारंभिक अनुमान के आधार पर, पश्चिम बंगाल राज्यं सरकार

ने सूचित किया है कि इसके कारण 11 व्यक्तियों की जान गई है और 35.57 लाख लोग प्रभावित हुए। ओडिशा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, लेकिन इससे 38.08 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। "बुलबुल" चक्रवात के कारण सड़क, पुल, मकान आदि जैसी अवसंरचनाओं को क्षति पहुँचने की भी सूचना मिली है।

(ग) और (घ): राज्य सरकार चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में क्षति का आकलन करती है और उनके पास पहले से रखे गए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दिनांक 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार, एसडीआरएफ के तहत ओडिशा राज्य के पास 447.52 करोड़ रूपये और पश्चिम बंगाल राज्य के पास 264.70 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त2 वर्ष 2019-2020 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ के तहत केन्द्रीय अंशदान के रूप में पश्चिम बंगाल को 414.90 करोड़ रूपये और ओडिशा को 552.00 करोड़ रूपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। "बुलबुल" चक्रवात के पश्चात, केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है , जिसने इन राज्यों में बुलबुल चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। राज्य सरकारों ने एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता मांगने के लिए अभी तक अपना ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

(ड.): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को हर-संभव संभारतंत्रीय और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए समुचित तैयारी, समन्वय और तत्काल प्रतिक्रिया कार्रवाई तंत्र विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जैसे संस्थापगत तंत्रों का प्रावधान है। एनडीएमए ने किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति के दौरान बेहतर प्रबंधन और समन्वय कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) तैयार की है।

बड़े पैमाने की आपदा की स्थिति में , जहाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से प्रतिक्रिया कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है , वहीं मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) , संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर तैयारी और प्रतिक्रिया कार्रवाई संबंधी उपायों का समन्वय करती है।

****